<u>निर्देश सं - 68</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

17 वाँ तल , जवाहर व्यापार भवन (एस. टी. सी. भवन)

टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 110001

एफ सं ए – 110018/01/2021-सीएक्यूएम-9079 **दिनांक : 14.09.2022**

विषय: दिल्ली- एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए एनसीआर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत निर्देश – 800 के डब्लू क्षमता से अधिक वाले डीजी-सेटों के लिए विनियम|

(1) जबकि, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है | (इसके बाद आयोग के तौर पर संदर्भित)|

(2) जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग का अधिकार है कि एन सी आर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निर्देश आदि जारी करे जैसा कि वे आवश्यक या व्यावहारिक समझे |

(3) जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (xi) आयोग को शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति , अधिकारी या किसी प्राधिकरण या ऐसे व्यक्ति या अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित में आदेश जारी करे और वे ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे|

(4) जबकि, आयोग ने वायु प्रदूषण से सम्बंधित मामले को कई बार हरियाणा, राजस्थान , पंजाब, उत्तर प्रदेश और एनसीटी- दिल्ली सरकार एवं सम्बंधित केन्द्रीय व राज्य सरकारों /जीएनसीटीडी के विभिन्न संगठनों के साथ उठाया और एनसीआर में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए समय-समय पर विभिन्न निर्देश एडवाइजरी और आदेश जारी किए हैं|

(5) जबकि, आयोग विशेष ध्यान देता रहा है, कि अन्य कारणों के साथ-साथ, डीजी सेटों का अनियंत्रित प्रयोग क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को खराब करने में एक बड़ा योगदान देने वाला कारक है|

(6) जबकि, एनसीआर में सर्दी के मौसम के दौरान खराब वायु गुणवत्ता के कारण आयोग ने अपने दिनांक 16 नवम्बर, 2021 के निर्देश सं 44 के तहत आपातकालीन उद्देश्यों को छोडकर, एनसीआर में जीआर ए पी की अवधि के दौरान डीजी सेटों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्देश दिया|

(7) जबकि, मामले में स्पष्टता लाने के लिए आयोग ने दिनांक 08.02.2022 के निर्देश सं 54-57 के तहत आपात कालीन उद्देश्यों / सेवाओं को सूचीबद्ध किया जिसके लिए जीआरएपी के तहत प्रतिबन्ध की अवधि के दौरान भी डी जी सेटों का प्रयोग किया जा सकता है और डीजी सेटों के विनियमित प्रयोग की अनुमति दी जो कि अपवाद स्वरूप है, बशर्ते कि ऐसे डीजी सेट रेट्रोफिटेड एमिशन कंट्रोल्ड डिवाइस (आरईसीडी) से लैस हों जो कि सीपीसीबी द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार होने चाहिए जिसमें 800 kW का कुल विद्युत श्रेणी तक के डी जी सेट होने चाहिए जिसमें पीएम पकड़ने की दक्षता न्यूनतम 70% होनी चाहिए और ऐसी डी जी सेटों को हाइब्रिड/डूएल फ्यूल मोड (गैस आधारित ईंधन और डीजल)में भी बदल दिया जाता है |

(8) जबकि, बहुत से उद्योग, संघ और संस्थाओं ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि अब तक 800 केडव्लू से अधिक कुल मैकेनिकल पॉवर के लिए डीजल पॉवर जनरेटिंग , सेट इंजन कोkW रेट्रोफिट्रेड एमिशन कण्ट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) एमिशन कंप्लायंस/टेस्टिंग के लिए विशेष निर्धारित प्रक्रिया नहीं है और उन्होंने जीआरएपी के दौरान ऐसे डी जी सेटों के लिए स्पष्टीकरण मांगा है|

(9) जबकि, इस सन्दर्भ में आयोग ने 800 के डब्लू क्षमता से अधिक के डी जी सेटों के लिए दिशा निर्देश शीघ्र जारी करने के लिए सीपीसीबी को समय समय पर अनुरोध किया है|

(10) जबकि, सीपीसीबी ने सलाह दी है कि 800 kW से अधिक कुल मैकेनिकल पावर के जेनसेट इंजन मूल रूप से पॉवर हाउस से भी अधिक हैं और यह संभव नहीं है कि ऐसे रेट्रो फिट्रेड एमिशन कण्ट्रोल डिवाइस में आईसो-काइनेटिक कंडीशन की क्षमता की जाँच की जा सके सुझाव दिया है कि ऐसे जेनरेटर सेटों की स्टेक एमिशन स्टैण्डर्ड जीएसआर 489 दिनांक 09.07.2002 के अनुसार होना चाहिए|

(11) जबकि, सीपीसीबी ने भी सूचित किया है कि 800 kW से अधिक के जेनरेटर सेटों के लिए एमिशन टेस्टिंग के लिए मोनिटरिंग प्रोटोकोल पहले ही विकसित किया जा चुका है और उसे एसपीसीबी/पीसीसी को परिचालित किया जा चुका है और इस श्रेणी के डीजी सेटों के लिए उत्सर्जन अनुपालन (Emission compliance), कंसेंट मैकनिज्म (consent mechanism) और स्टैक मोनिटरिंग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए|

(12) जबकि, क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चल रहे डीजल जनरेटर सेटों की बजह से भारी प्रदूषण एक बड़ी चिंता की बात है और इस दृष्टिकोण से 800 kW क्षमता से कम के डी जी सेटों में एमिशन कण्ट्रोल डिवाइस

को रिट्रो-फिट कराने और दोहरे इंधन मोड (Duel fuel mode) में चलाने के लिए आदेश दिये गये है जिससे डीजी सेटों से पी एम उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी हो सके|

(13) जबकि, 800 kW क्षमता से अधिक वाले डीजी सेटों से पीएम उत्सर्जन नियंत्रित करने की अत्यावश्यकता है और उसके अनुसार कठोर उत्सर्जन मानक अपेक्षित हैं |

(14) अब, इसलिए क्षेत्र में डी जी सेट से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कम करने की दृष्टि से एनसीआर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन के तहत आयोग एतदद्वारा निदेश देता है कि एनसीआर में 800 kW से अधिक क्षमता वाले डीजी सेटों को भी विनियमित प्रयोग के लिए एन सी आर में निम्नवत औद्योगिक /वाणिज्यिक संचालन के लिए अनुमति दी जा सकती है जो कि जीआरएपी की अवधि के दौरान निम्न्वत्त होगी:-

(i) ऐसे डी जी सेट उन क्षेत्रों में जहां पी एन जी संरचना और आपूर्ति उपलब्ध है, अनिवार्यरूप से दोहरी इंधन मोड (डुएल फ्यूल मोड) में एक दिन में अधिकतम दो घंटे चलने की अनुमति होगी जो कि नियमित बिजली आपूर्ति में कमी होने के कारण उत्पादन तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए होगी|

(ii) वह क्षेत्र जहां गैस संरचना और आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, वहाँ 800 के डव्लू और अधिक क्षमता वाले डी जी सेटों को रोजाना अधिकतम 01 घंटा चलाने की अनुमति दी जायेगी|

(iii) ऐसे 800 के. डव्लू क्षमता वाले डी जी सेट से स्टैक एमिशन निम्नवत होंगे: -

क्र०सं	**पैरामीटर**	**मानक**
(i)	पी एम (15% O_2 पर)	50 एम जी /एन एम^3
(ii)	एन ओ एक्स (15% O_2 पर)	650 एम जी/एन एम^3
(iii)	सी ओ (15% O_2 पर)	100 एम जी/एन एम^3
(iv)	स्टेक हाइट	निम्नलिखित का अधिकतम (मीटर में) (क) अधिकतम 6 मीटर, बिल्डिंग के ऊपर जहां डी जी सेट लगाया गया है (ख) 30 मीटर टिप्पणी: - उदाहरण के लिए ,जहाँ ऐसे डी जी सेट लगाये गये हों, बिल्डिंग की

		ऊचाई 20 मीटर हो तो डी जी सेट की जमीन से अधिकतम स्टेक हाइट 30 मीटर होनी चाहिए| और यदि बिल्डिंग की उचाई 27 मीटर है तो डी जी सेट की स्टेक हाइट जमीनी स्तर से 33 मीटर होनी चाहिए|

(iv.) एनसीआर के राज्य पीसीबी/डीपीसीसी उत्सर्जन मानकों का अनुपालन उचित कंसेंट मैकेनिज्म और समय – समय पर निगरानी द्वारा सुनिश्चित करेंगे |

(अरविंद नौटियाल)
सदस्य-सचिव
दूरभाष न०: 011-23701197
011-23446811
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में :

1)मुख्य सचिव, एन सी टी , दिल्ली सरकार|
2)मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार|
3)मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार|
4)मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार|
5)सीएक्यूएम के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य |

प्रतिलिपि: (एन ओ ओ)

1. अध्यक्ष , सीपीसीबी |
2. अध्यक्ष , डीपीसीसी |
3. अध्यक्ष , एचपीसीबी |
4. अध्यक्ष , आरएसपीसीबी |
5. अध्यक्ष , यूपीपीसीबी |